आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

बी०एल०डी०आर० वाद संख्या – 178 / 2023

कमलेश राय व अन्य

बनाम

शिव नारायण राय व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
05.06.2023	प्रस्तुत अपीलवाद कमलेश राय व अन्य ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महुआ, वैशाली के अपील वाद संख्या 268 / 2013–14 मे दिनांक 27.03.2014 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–	

क्र०	विवरणी	तिथि	विलंब
1	आदेश की तिथि	27.03.2014	3351 दिन
2	चिरकुट दाखिल करने कि तिथि	26.04.2023	
3	स्टाम्प शुल्क Notify करने की तिथि	–	
4	स्टाम्प शुल्क जमा करने की तिथि	–	
5	सच्ची प्रतिलिपि तैयार करने की तिथि	04.05.2023	0 दिन
6	सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त करने की तिथि	04.05.2023	
7	अपील वाद दायर करने की तिथि	30.05.2023	26 दिन
	कुल (7+1)		3377 दिन
	(–) नकल निर्गत करने मे लगा समय (6–2)		08 दिन
	(–)अपील दायर करने का निर्धारित समय		30 दिन
	शुद्ध विलंब		3339 दिन

वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर एवं वाद दायर करने में हुए विलंब पर

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सविस्तार सुना। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विलंब को क्षांत करने हेतु आवेदन दिया गया है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने वाद दायर करने में हुए विलंब का कारण वादी को निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने की जानकारी नहीं होना बताया गया है। साथ ही उन्होने (वादी) यह भी बताया कि निम्न न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जिससे वाद की जानकारी वादी को नही थी। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद 3339 दिन विलंब से दायर किया गया है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद दायर करने में हुए विलंब का जो कारण बताया गया हैं वह स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि बिहार भूमि विवाद निराकरण, अधिनियम 2009 के नियम 14 के अनुसार 30 दिनों के अंदर अपील दायर करने का प्रावधान है जबकि वादी द्वारा 3339 दिन के विलंब से अपील दायर किया गया है जो अपील दायर करने की समय सीमा से 111 गुणा अधिक है, अप्रत्याशित विलंब है। साथ ही विलंब क्षांत करने हेतु वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद दायर करने में हुए विलंब का कोई तर्कपूर्ण तथ्य/साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश की जानकारी विलंब से होने तथा अपीलवाद दायर करने में हुए विलंब का कोई संतोषप्रद जवाब वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा सका। अतः प्रस्तुत अपीलवाद को उपरोक्त कारणों से कालबाधित (Time barred) होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।* **लेखापित एवं संशोधित**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त	आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL